रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1007] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940
No. 1007] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/PHALGUNA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

का.आ. 1141(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 267 (अ), तारीख 30 मार्च, 1998 और का. आ. 711 (अ), तारीख 18 जून, 2003 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के क्रमश: 27.60 कि.मी. से 59.00 कि.मी. (प्रस्तावित हापुड बाइपास सेक्शन सहित गाजियाबाद-हापुड सेक्शन) और 59.00 कि.मी. से 166.65 कि.मी. (हापुड और मुरादाबाद बाइपास सहित हापुड-मुरादाबाद) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है .

और यत: अब केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा निम्नलिखित चार लेन सेक्शन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकारी प्राधिकृत किया था !

खण्ड	सेक्शन	का-आ- संख्या	दिनांक
रारा-24 का 27.643 कि.मी. से 48.638 कि.मी. और 11.250 कि.मी. का बाइपास	उत्तर प्रदेश राज्य में हापुड़ बाइपास सहित गाजियाबाद-हापुड़	का-आ- 2048 (अ)	23.08.2012
रारा-24 का 58.000 कि.मी. से 93.000 कि.मी.	उत्तर प्रदेश राज्य में हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर खण्ड	का-आ- 247(अ)	08.02.2012
		का-आ- 1710 (अ)(संशोधन)	26.07.2012

रारा-24 का 93.000 से 149.250 कि.मी.	उत्तर प्रदेश राज्य में बृजघाट-मुरादाबाद	का-आ- 116(अ)	07.01.2013

और यतः, प्राधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में, हापुड बाइपास के 50.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 50.000 कि.मी.) से 148.277 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 149.867 कि.मी.) सहित व हापुड बाइपास से मुरादाबाद सेक्शन सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (नया रारा-9) के हापुड बाइपास से मुरादाबाद सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त सेक्शन'कहा गया है) के डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विकास और 148.277 कि.मी. से 149.250 (वर्तमान फ्लाई ओवर सहित) तक प्रचालन और अनुरक्षण (उन्नयन के लिए प्रस्ताव नहीं है) हेतु 21.03.2018 को प्रस्तुत बोली के लिए दिनांक 29.05.2018 को मैसर्स आईआरबी हापुड-मुरादाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1101, हीरानंदानी नॉलेज पार्क, 11वां तल, टेक्नोलॉजी स्ट्रीट, हिल साइड एवेन्यू, हीरानंदानी अस्पताल के सामने, पवई, मुंबई-400076 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात 'रियायतग्राही'कहा गया है) के साथ को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त करार कहा गया है),

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. का.आ. 247 (अ) तारीख 08 फरवरी, 2012 और अधिसूचना सं. का.आ. 116 (अ) तारीख 07 जनवरी, 2013 का अधिक्रमण करते हुए और अधिसूचना सं. का.आ. 2048 (अ) तारीख 23 अगस्त, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 1616.77 मीटर की कुल अनुमानित लम्बाई की संरचनाओं और 22.787 कि.मी. लम्बाई के बाइपास (जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड रूपए से अधिक है) सहित उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर, नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष शुल्क .मी.के लिए प्रति कि 08-2007 (में रूपए) दर**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशनिरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1 इसके अन्तर्गत उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किए जाने वाले शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं हेतु विनिर्दिष्ट सेक्शन के लिए सारिणी 1 में उल्लिखित आधार दर का 100 % शुल्क प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा ।

क्र.सं.	शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (जिसके लिए शुल्क संदेय है)			
		निर्माण अवधि के दौरान	जिस पर शुल्क संदेय है	छह लेन के निर्माण के बाद	जिस पर शुल्क संदेय है
1	90.661 किमी पर	54.335	बिना किसी वार्षिक	34.541	ऊपर सारणी 1 -

	(विद्यमान 88.500 किमी) जिला पंचशील नगर में बृजघाट गांव के निकट	(60 मीटर से अधिक की लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	वृद्धि' के, उक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	(60मीटर से अधिक लम्बाई की संनरचनाओं और बाइपास की लम्बाइ को छोड़कर)	में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	123.875 किमी पर (विद्यमान 121.975 किमी) जिला जेपी नगर में जोया गांव के निकट	43.617 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	बिना किसी वार्षिक वृद्धि' के, उक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	41.895 (60मीटर से अधिक लम्बाई वाले बाइपासों की संनरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 - में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	कुल	**97.952**		**76.436**	

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के 150% पर निम्नलिखित शुल्क शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा(ओ) का अवस्थान (चैनेज)	**बाइपास का नाम**	**डिजाइन चैनेज**		**बाइपास की लम्बाई (किमी में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है।**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है (निर्माण के पश्चात)**
		से आरम्भ होते हुए	**पर मिलते हुए**	**निर्माण अवधि के दौरान**	**छह लेन के निर्माण के बाद**	
90.661 किमी पर (विद्यमान 88.500 किमी) जिला पंचशील नगर में बृजघाट गांव के निकट	बाबूगढ़ से बक्सर	59.000	79.700	शून्य	20.387	ऊपर सारणी 1 -में उल्लिखित आधार दरों का 150%
123.875 किमी पर (विद्यमान 121.975 किमी) जिला जेपी नगर में जोया गांव के निकट	रजाबपुर बाइपास	117.850	120.315	शून्य	2.400	ऊपर सारणी 1 -में उल्लिखित आधार दरों का 150%
कुल				**शून्य**	**22.787**	

3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क्र.सं.	टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है					
		निर्माण अवधि के दौरान			छह लेन के निर्माण के बाद		
		सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.) में	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.) में	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.) में	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.) में	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	90.661 किमी पर (विद्यमान 88.500 किमी) जिला पंचशील नगर में बृजघाट गांव के निकट	1.17267(i)	11.7267	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के, उक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	1.40167 (iii)	14.0167	ऊपर सारणी 1 - में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	123.875 किमी पर (विद्यमान 121.975 किमी) जिला जेपी नगर में जोया गांव के निकट	0.1251 (ii)	1.251	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के, उक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	0.2151(iv)	2.151	ऊपर सारणी 1 - में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	कुल	**1.29777**	**12.9777**		**1.61677**	**16.1677**	

(i) 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं का व्यौरा निम्नलिखित है

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	संनरचनाओं की सामान्य लम्बाई (किमी में)	संनरचनाओं की समकक्ष लम्बाई (किमी में)
.1	59.780 कि.मी. पर	0.084	0.840
2	84.090 कि.मी. पर	0.165	1.650
3	85.995 कि.मी. पर	0.0748	0.748
4	94.016 कि.मी. पर	0.70297	7.0297
5	99.560 कि.मी. पर	0.0709	0.709
6	104.587 कि.मी. पर	0.075	0.750
	कुल	**1.17267**	**11.7267**

(ii) 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं का व्यौरा निम्नलिखित है

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	संनरचनाओं की सामान्य लम्बाई (किमी में)	संनरचनाओं की समकक्ष लम्बाई (किमी में)
1	128.428 कि.मी. पर	0.0621	0.621

2	148.665 कि.मी. पर	0.063	0.630
	कुल	**0.1251**	**1.251**

(iii) 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं का व्यौरा निम्नलिखित है

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान(डिजाइन चैनेज)	संनरचनाओं की सामान्य लम्बाई (किमी में)	संनरचनाओं की समकक्ष लम्बाई (किमी में)
1	60.298 कि.मी. पर	0.063	0.630
2	64.880 कि.मी. पर	0.070	0.700
3	59.111 कि.मी. पर	0.090	0.900
4	79.619 कि.मी. पर	0.090	0.900
5	84.090 कि.मी. पर	0.165	1.650
6	85.995 कि.मी. पर	0.0748	0.748
7	94.016 कि.मी. पर	0.70297	7.0297
8	99.560 कि.मी. पर	0.0709	0.709
9	104.587 कि.मी. पर	0.075	0.750
	कुल	**1.40167**	**14.0167**

(iv) 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं का व्यौरा निम्नलिखित है

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान(डिजाइन चैनेज)	संनरचनाओं की सामान्य लम्बाई (किमी में)	संनरचनाओं की समकक्ष लम्बाई (किमी में)
1	121.902 कि.मी. पर	0.090	0.900
2	128.428 कि.मी. पर	0.0621	0.621
3	148.665 कि.मी. पर	0.063	0.630
	कुल	**0.2151**	**2.151**

4 परियोजना पूरा करने की निर्धारित तारीख (छह लेन बनाने की परियोजना की शुरुआती तारीख से 910 दिन) और परियोजना पूरा किए जाने की वास्तविक तारीख के बीच यदि विलम्ब होता है तो विलंबित अवधि हेतु कोई प्रयोक्ता शुल्क उदग्रहीत नहीं किया जाएगा । इस नियम के प्रयोजनार्थ परियोजना के किसी भी अनंतिम समापन को परियोजना का समापन नहीं माना जाएगा ।

5 जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

6 राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	अनुमत अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे

पचासएकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दोतिहाई-	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

7. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्टदर का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
8. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग मे प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तककि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
9. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
10. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित कियाजाएगा।
11. ऊपर सारिणी-1 में यथा–उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और रियायत करार के उक्त नियमों और प्रावधानों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा संशोधन शुल्क की पहले किया गया संशोधन की तारीख से 6 महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/15-16/जीसी-हापुड़ बाइपास-मुरादाबाद (बीओटी)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2019

S.O. 1141(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways S.O. 267(E) dated 30th March, 1998 and S.O. 711 (E) dated the18th June, 2003 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Km. 27.60 to Km. 59.00 (Ghaziabad-Hapur including the proposed Hapur Bypass Section) and from Km. 59.00 to Km. 166.65 (Hapur-Moradabad including Hapur & Moradabad Bypass Section) respectively of National Highways No. 24 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by following notifications of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of following four-laned sections:

Stretch	Section	S.O. No.	Dated
Km 27.643 to km 48.638 and bypass of 11.250 km of NH-24	Ghaziabad-Hapur including Hapur Bypass in the state of Uttar Pradesh	S.O. 2048 (E)	23.08.2012
Km 58.000 to km 93.000 of NH-24	Hapur – Garhmuketeshwar Section in the state of Uttar Pradesh	S.O. 247 (E)	08.02.2012
		S.O. 1710 (E) (amendment)	26.07.2012
Km 93.000 to km 149.250 of NH-24	Brijghat-Moradabad in the state of Uttar Pradesh	S.O. 116 (E)	07.01.2013

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement(hereinafter referred to as said agreement) on 29.05.2018 with M/s IRB Hapur-Moradabad Tollway Private Limited, having its Registered Office at 1101, Hiranandani Knowledge Park, 11th Floor, Technology Street, Hill Side Avenue, Opp. Hiranandani Hospital, Powai, Mumbai-400076 (hereinafter referred to as "Concessionaire") for the bids received on 21.03.2018, for the development of the Hapur bypass to Moradabad section including Hapur bypass to Moradabad section including Hapur bypass from Km 50.000 (Design Ch. Km 50.000) to Km 148.277 (Design Ch. Km 149.867) (hereinafter referred to as the "said section") of the National Highway No. 24 (New NH-9) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis and Operation and Maintenance (not proposed to be upgraded) from km 148.277 to km 149.250 (incl. existing flyover);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of the Notification bearing no. S.O. 247(E) dated 8th February, 2012 and Notification bearing S.O. 116(E) dated 07th January, 2013 and in partial modification of Notification bearing no. S.O. 2048(E) dated 23rd August, 2012, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table-1 for the use of the said section including the structures having an estimated total length of 1616.77m and bypass (having an estimated cost of more than Rs 10 crore) of total length of 22.787 km, in the State of Uttar Pradesh on the type of vehicles specified in column (1) of the Table-1 below, and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the said agreement;

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(2)	(3)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plazas at 100% of the base rate mentioned in Table-I above for the length of the section specified for such Fee Plazas, namely:-

S.No.	**Location of Toll Plaza (Design Chainage)**	**Length (in km for which Fee is payable)**			
		During Construction Period	**Rate at which fee is payable**	**After Construction of Six Laning**	**Rate at which fee is payable**
1	At km 90.661 (existing km 88.500) near Brijghat village in Panchsheel Nagar District	54.335 (Excluding structures >60m length)	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	34.541 (Excluding length of bypass & structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	At km 123.875 (existing km 121.975) near Joya village in J. P. Nagar District	43.617 (Excluding structures >60m length)	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	41.895 (excluding Structure >60mand Bypasses)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total	**97.952**		**76.436**	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more, at the following Fee Plazas at 150% times the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass specified for such Fee Plazas:-

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of Bypass	Design Chainages		Length of bypass (in km) for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable (after construction)
		Taking off at	Merging at	During Construction Period	After Construction of Six-laning	
At km 90.661 (existing km 88.500) near Brijghat village in Panchsheel Nagar District	Babugarh to Buxar	59.000	79.700	Nil	20.387	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 123.875 (existing km 121.975) near Joya village in J. P. Nagar District	Rajabpur Bypass	117.850	120.315	Nil	2.400	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
			Total	**Nil**	**22.787**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plazas, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10, at the base rates mentioned in Table-1 above:-

S. No.	Location of Toll Plaza (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee payable					
		During Construction Period			After Construction of Six-laning		
		Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	At km 90.661 (existing km 88.500) near Brijghat village in Panchsheel Nagar District	1.17267(i)	11.7267	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	1.40167(iii)	14.0167	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2.	At km 123.875 (existing km 121.975) near Joya village in J. P. Nagar District	0.1251 (ii)	1.251	75% of the base rates mentioned in Table-I above, without any annual increase.	0.2151(iv)	2.151	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total	**1.29777**	**12.9777**		**1.61677**	**16.1677**	

(i) The details of structures (> 60 m length)are as under:

S.No.	Location of Structure (Design Chainage)	Normal length of Structures (in km)	Equivalent length of structures (in km)
1	At Km 59.780	0.084	0.840
2	At Km 84.090	0.165	1.650
3	At Km 85.995	0.0748	0.748
4	At Km 94.016	0.70297	7.0297
5	At Km 99.560	0.0709	0.709

6	At Km 104.587	0.075	0.750
	Total	**1.17267**	**11.7267**

(ii) The details of structures (> 60 m length)are as under:

S.No.	Location of Structure (Design Chainage)	Normal length of Structures (in km)	Equivalent length of structures (in km)
1	At Km 128.428	0.0621	0.621
2	At Km 148.665	0.063	0.630
	Total	**0.1251**	**1.251**

(iii) The details of structures (> 60 m length)are as under:

S.No.	Location of Structure (Design Chainage)	Normal length of Structures (in km)	Equivalent length of structures (in km)
1	At Km 60.298	0.063	0.630
2	At Km 64.880	0.070	0.700
3	At Km 59.111	0.090	0.900
4	At Km 79.619	0.090	0.900
5	At Km 84.090	0.165	1.650
6	At Km 85.995	0.0748	0.748
7	At Km 94.016	0.70297	7.0297
8	At Km 99.560	0.0709	0.709
9	At Km 104.587	0.075	0.750
	Total	**1.40167**	**14.0167**

(iv) The details of structures (> 60 m length)are as under:

S.No.	Location of Structure (Design Chainage)	Normal length of Structures (in km)	Equivalent length of structures (in km)
1	At Km 121.902	0.090	0.900
2	At Km 128.428	0.0621	0.621
3	At Km 148.665	0.063	0.630
	Total	**0.2151**	**2.151**

4. No user fee shall be levied for the delayed period between the Scheduled date of completion (910^{th} day from the Appointed Date of the 6-lanning project) and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

5. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Fifty & Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

7. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

8. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the said rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Fee plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the said rules.

9. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

10. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

11. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/CO/15-16/GC Hapur Bypass-Moradabad(BOT)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.08 19:27:18 +05'30'